



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 माघ, 1944 (श०)

संख्या - 53 राँची, मंगलवार,

31 जनवरी, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

10 जनवरी, 2023

संख्या-4/ब-2/2005-का० 146--कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के राजभाषा संवर्ग के श्री मिथिलेश नारायण, उप निदेशक (वेतनमान-पी०बी०-III रु. 15,600-39,100, ग्रेड वेतन-6,600 तदनुसार पे मैट्रिक्स लेवल-11) को संयुक्त निदेशक (वेतनमान-पी०बी०-III रु. 15,600-39,100, ग्रेड वेतन-7,600 तदनुसार पे मैट्रिक्स लेवल-12) कोटि में प्रोन्नति प्रदान करते हुए कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (मुख्यालय, राजभाषा प्रभाग), झारखण्ड, राँची में संयुक्त निदेशक के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-4/ब-2/2005-का० 147--कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के राजभाषा संवर्ग के श्री आगम कुमार रंजन, सहायक निदेशक (वेतनमान-पी०बी०-II रु. 9,300-34,800, ग्रेड वेतन-5,400 तदनुसार पे मैट्रिक्स लेवल-9) को उप निदेशक (वेतनमान-पी०बी०-III रु. 15,600-39,100, ग्रेड वेतन-6,600 तदनुसार पे मैट्रिक्स लेवल-11) कोटि में प्रोन्नति प्रदान करते हुए कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (मुख्यालय, राजभाषा प्रभाग), झारखण्ड, राँची में उप निदेशक के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-4/ब-2/2005-का० 148--कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के राजभाषा संवर्ग के श्री योगेन्द्र कुमार, सहायक निदेशक (वेतनमान-पी०बी०-II रु. 9,300-34,800, ग्रेड वेतन-5,400 तदनुसार पे मैट्रिक्स लेवल-9) को उप निदेशक (वेतनमान-पी०बी०-III रु. 15,600-39,100, ग्रेड वेतन-6,600 तदनुसार पे मैट्रिक्स लेवल-11) कोटि में प्रोन्नति प्रदान करते हुए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (मुख्यालय, राजभाषा प्रभाग), झारखण्ड, राँची में उप निदेशक के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

2. प्रोन्नत पदाधिकारियों को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 के आलोक में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत पद का वित्तीय लाभ देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
